

130



न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

प्र.क्र. /2012 निगरानी

R 1999 - I/12

श्री. राम. श. शर्मा द्वारा आज दि. 4-7-12 को परतुल  
4-7-12  
महोदय कोर्ट  
राजस्व मण्डल ग्वालियर

आनेंद्र कुमार पुत्र रामस्वरूप राय  
निवासी ग्राम कुडराया तहसील  
व जिला दतिया -प्रार्थी  
बनाम

- 1- मुकेश नारायण सक्सेना पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण सक्सेना निवासी अधीरो इस्ट मुम्बई हॉल निवासी इ-166से. 5डी. नोपडा तहसील दादर जिला गोतमबुद्ध नगर, उ, प्र
- 2- दीपक कुमार पुत्र रामस्वरूप राय नि० ग्राम कुडराया तहसील व जिला दतिया म०प्र० - प्रतिप्राधीगी.

4-7-12  
4-7-12

निगरानी पत्र अन्तर्गत धारा 50 अ. सं. 1959 के तहत

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी अपर कलेक्टर जिला दतिया द्वारा प्र.क्र. 73/10-11/निगरानीमे पारित आदेश दिनांक 8-6-12 के विरुद्ध निम्नानुसार प्रस्तुत है-

- 1- यह कि, निगरानी का संधिप्त सार यह है कि प्रार्थी व प्रतिप्राधीगी का सामलाती खन्ता ग्राम कुडराया मे स्थित थानेसका विधिवत बटवारा तहसील द्वारा दि० 15-3-11 को किया गया। उक्त बटवारे से दुखितहोकर प्रतिप्राधीगी 1 दादा दिनांक 4-5-09 को अनुविभागीय

3

निगरानी  
4-7-12

दतिया  
ही  
ह।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./1999/एक/2012

जिला दतिया

आनन्द कुमार विरुद्ध मुकेश नारायण आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं पक्षिकाओं के हस्ताक्षर आदि के हस्ताक्षर
<del>17/6/19</del> 20/6/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक-73/2010-11/निग. में पारित आदेश दिनांक 6/08/12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 13/08/19 को आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

  
(आर0के0 जैन)  
सदस्य 20/6/19